तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	दातारसिंह / महेन्द्रसिंह 95/19

[illegible] पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पर वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकील वादी का कथन है कि मेरा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विधिवत विभाजन कार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी किया जावें। वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विधिवत तैयार किया जाकर पेश किया गया। विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। वकुलाय सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि खातेदारान के मध्य मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है। जिससे उभय पक्षकारान भी सहमत है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक/भू.अ./2022/3079 दिनांक 10.06.2022 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक-पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावे। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दावा नं. 95/2019 दातारसिंह बनाम महेन्द्र सिंह वगै.	

2022

वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने अनुरोध किया कि प्रस्तुत वाद में मुख्य रूप से बटवारा का अनुतोष चाहा गया है। अतः दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया जावें एवं विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावें। वकील प्रतिवादी भी दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किये जाने पर सहमत है। वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार रेकार्डेड खातेदार या उनके वैधानिक वारिसान राजस्व रेकार्ड में अंकित अपने हिस्सों के अनुसार न्यायालय द्वारा "बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स" बटवारा करवाने के हक व अधिकारी है। इसलिये विवादित भूमि खसरा नम्बर 250 रकबा 1.75 हैक्ट. अवस्थित ग्राम मगोट पटवार हल्का मगेगा एवं भूमि ख.नं. 72, 73 किता 2 रकबा 2.19 हैक्ट अवस्थित ग्राम अन्दाला पटवार हल्का मगेगा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर की जमाबन्दी में अंकित हिस्सो के अनुसार पक्षकारान/खातेदारान के मध्य बटवारा किये जाने हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है एवं प्राथमिक डिक्री निम्न शर्तो के अनुसार जारी की जाती है-

(1) यदि पक्षकारान ने आपस में बाहमी बंटवारा कर अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है तो मौका एवं रिकार्ड के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें।

(2) पक्षकारान की आपसी सहमति से बटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।

(3) यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 के अनुसार पक्षकारान के बीच बटवारा किया जाना सम्भव नहीं है, तो उपरोक्त वर्णित आराजियात का रेकार्ड एवं मौके के अनुसार पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा विधिवत "बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स" कर प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव भिजवावें। विभाजन प्रस्ताव में खातेदारों को अपनी भूमियों में पहुंच हेतु रास्तो को भी ध्यान में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जावें। बटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सुनवाई हेतु पक्षकारान को नोटिस देकर सूचित करें। विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/ प-51/ 2008/विविध/10546 दिनांक 5.10.2020 में प्रदत्त दिशानिर्देशानुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया जावें।

उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। वादी मौका कमिश्नर फीस 1000/- रूपये अदा करेंगे। पत्रावली तहरीर जारी होकर बइंतजार बंटवारा प्रस्ताव के दिनांक 08.06.2022 को पेश हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)